



थाना डिडौली पुलिस द्वारा देर रात्रि बाग में गोकशी कर रहे 02 अभियुक्त बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार, अवैध असलहे व जीवित गौवंशीय पशु बरामद ।

अवगत कराना हैं कि कल दिनांक 11/12.06.2021 की रात्रि समय करीब 00.45 बजे थाना डिडौली पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम फत्तेपुर माफी में आम के बाग में कुछ लोग बैल लेकर गये हैं जोकि उनको काटकर उनका मांस बेचेगें, इस सूचना पर थाना डिडौली पुलिस द्वारा अभियुक्तों के गिरफ्तारी व गौवंशीय पशुओं की सकुशल बरामदगी हेतु आम के बाग में दबिश दी गयी तो पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख बदमाशों ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया जिसमें पुलिस टीम बाल बाल बची, अभियुक्तों को और फायरिंग करने का मौका न देते हुये पुलिस टीम द्वारा मौके से 02 अभियुक्त 1. मुफीद व 2. इकबाल को गिरफ्तार किया गया जिनके अन्य साथी अंधेरे का लाभ लेकर फरार हो गये ।

गिरफ्तार अभियुक्त मुफीद के कब्जे से 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस(नाल मे फंसा) व 01 जिंदा कारतूस 12 बोर तथा अभियुक्त इकबाल के कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए । पुलिस टीम द्वारा मौके पर 02 गौवंशीय पशु बैल व बछडा जिनके आगे-पीछे के पैर बंधे हुये थे, को रस्सी काटकर तुरन्त ही बन्धन मुक्त कराया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना डिडौली पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0स0 225/2021 धारा 307 भादवि, मु0अ0स0 228/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 व मु0अ0स0 226/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम बनाम मुफीद व मु0अ0स0 227/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम बनाम इकबाल उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है ।



पुछताछ विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पुछताछ पर बताया कि हम लोग पैसा कमाने हेतु आवारा जंगल में घुमते हुये गाय व बैल को पकडकर जंगल में ले जाकर उन्हें काटकर उसका मांस बेच देते हैं । गिरफ्तार अभियुक्त इकबाल शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध गौकशी करने के सम्बन्ध में थाना डिडौली पर अभियोग पंजीकृत है तथा जनपद सम्भल में भी 02 बार गौकशी करने के अपराध मे गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है जिसकी जानकारी की जा रही है । गिरफ्तार अभियुक्त मुफीद जनपद सम्भल से गैंगस्टर अपराधी है जिस पर पूर्व से गौकशी से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. मुफीद पुत्र हनीफ निवासी ग्राम बुकनवाला थाना असमौली जनपद सम्भल ।
2. इकबाल पुत्र मुनीम निवासी ग्राम फत्तेपुर माफी थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

बरामदगी:-

1. 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस 12 बोर ।
2. 01 तमंचा, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर ।
3. 02 जीवित गौवंशीय पशु (बैल व बछडा) व कटान के उपकरण चापड, छूरी व रस्सी आदि ।

फरार अभियुक्त:-

1. नदीम पुत्र हनीफ निवासी ग्राम बुकनवाला थाना असमौली जनपद सम्भल ।
2. चाहत पुत्र रहिम बख्श निवासी ग्राम फत्तेपुर माफी थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
3. मुनीश पुत्र मुनीम निवासी ग्राम फत्तेपुर माफी थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुफीद:-

1. मु0अ0सं0 225/2021 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 226/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
3. मु0अ0सं0 228/2014 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
4. मु0अ0सं0 223/2020 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना असमौली जनपद सम्भल ।
5. मु0अ0सं0 354/2020 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना असमौली जनपद सम्भल ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इकबाल:-

1. मु0अ0सं0 225/2021 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
 2. मु0अ0सं0 227/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
 3. मु0अ0सं0 228/2014 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
 4. मु0अ0सं0 386/2019 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
- अभियुक्तगणों के शेष अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।**

पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मोहित चौधरी थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
3. का0 252 रोहित कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
4. का0 401 टिकू चौधरी थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
5. का0 383 उदयवीर सिंह थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
6. का0 504 दीपक यादव थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।